महत्वपूर्ण

संख्या 131 /आठ–1–2024 /1483/2019.

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 12 फरवरी, 2024**

विषयः भवन एवं अवस्थापना निर्माण कार्यो की संरचनात्मक परिकल्पना ओर उनके प्रमाण जाच की परामर्श सेवाओं सम्बन्धी भारतीय मानक, आई0एस0 18299:2023 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

देश में नवीनतम अभियांत्रिकी के प्रयोग के साथ हो रहे त्वरित विकास में भवन एवं अवस्थापना निर्माण के ठोस, सुरक्षित एवं टिकाऊ संरचना के सृजन हेतु उनकी संरचनात्मक परिकल्पना एवं सरचनाओं की प्रमाण जांच की परामर्श सेवाओं की अपेक्षाओं के सम्बन्ध में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक, आई0एस0 18299:2023 जारी किया गया है। संरचनाओं की निरंतरता एवं टिकाऊपन पहलू के साथ–साथ परिकल्पना परामर्शी एवं प्रमाण जांच परामर्शी के सेवाओं में व्यवहारिकता, सुरक्षा एवं आर्थिक दृष्टिकोण को इस मानक का आधार बनाया गया है।

2– इस मानक में संरचना के निर्माण एवं उसके निष्पादन हेतु चयनित एजेन्सी की प्रकृति के आधार पर परिकल्पना परामर्शी एवं प्रमाण जाच परामर्शी के नियोजन तथा परामर्श कार्य की श्रेणी निर्धारित की गयी है, जिसका प्रयोग उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित/निष्पादित परियोजनाओं हेतु उपयोगी होगा।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित भवन निर्माण एवं अवस्थापना विकास की परियोजनाओं की संरचनात्मक परिकल्पना एवं परिकल्पना के प्रमाण जांच हेतु परामर्श सेवा प्रदाताओं का चयन एवं निर्माण के परिकल्पना सम्बन्धी परामर्श की अपेक्षाओं का क्रियान्वयन भारतीय मानक आईएस 18299:2023 में निहित प्राविधान के अनुसार कराये जाने का कष्ट करें। परामर्श सेवाओं पर आने वाला व्यय भार उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कुर्सी क्षेत्रफल दरों में परिकल्पना सम्बन्धी परामर्श कार्य हेतु अनुमन्य धनराशि के अन्तर्गत एवं परियोजना के लागत पर प्रभार्य होगा।

भवदीय,

12/2/24

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव

E://Gupta ji GO /2024

संख्या– /3 1 /आठ–1–2024 /1483/2019.तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को आवास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव।

E://Gupta ji GO /2024